



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर जानबूझकर गम्भीर चोट पहुंचाने वाले 02 अभियुक्त को 09 माह 10 दिन के साधारण कारावास व 1,000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवांर में पंजीकृत मु0अ0सं0-215/2004 धारा-323,324,504,506,427 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय सिविल जज(सी0डि0)/एफटीसी जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.सज्जन सिंह पुत्र महेश्वरीदीन सिंह 2.कमलेश सिंह उर्फ भुनुषा पुत्र महेश्वरीदीन सिंह नि0गण ग्राम निवादा थाना बिंवार जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 09 माह 10 दिन के साधारण कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-पीओ  
विकास



विवेचक-  
एचसीपी  
रामगोपाल सिंह



पैरोकार- थाना बिवांर  
का0 श्रीकान्त राजपूत